पीड़ित बंदी सहयोग समिति (PPSC)

प्रेस विज्ञप्ति – **11** जनवरी 2018

झारखण्ड में मजदूर संगठन समिति पर दमन बंद करो!

पी.पी.एस.सी. झारखण्ड में मजदूर संगठन समिति, जो कि एक पंजीकृत श्रमिक संघ है, और इसके सदस्यों पर झारखण्ड सरकार द्वारा किये जा रहे दमन की कड़ी निंदा करता है | इस श्रमिक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया है और गिरिडीह में इसके 13 सदस्यों पर कठोर कानूनों, जैसे विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू.ए.पी.ए.) और आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, अनुभाग 17 (17, सी.एल.ए. एक्ट), के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है । इनमें से 3 सदस्य 24 दिसम्बर 2017 से हिरासत में हैं । बोकारो में भी 6 अन्य सदस्यों के खिलाफ़ 17, सी.एल.ए. एक्ट के तेहत मामला दर्ज किया गया है |

वर्ष 1989 से एम.एस.एस. गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, गया, खारसवाना और झल्दा जिलों में लगभग 22,000 श्रमिकों की सदस्यता के साथ सक्रिय रहा है। मधुबन में, जहाँ समिति पर सबसे पहले दमन बरपाया गया, समिति से कईं डोली मजदूर जुडें हैं| ये डोली मज़दूर जैन तीर्थ यात्रियों को पहाड़ी पर स्थित परसनाथ शिखरजी मंदिर तक पहुँचने में मदद करते हैं। डोली मजदूर इन यात्रियों से 10-10 रूपए अपने एक कल्याण कोष के लिए इकठ्ठा करते आये हैं। इससे बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के इलाज के लिए और मृत्यु होने पर उनके परिवार की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कोष से साल 2013 में एक 'श्रमजीवी हस्पताल' खोला गया जहाँ मुफ्त में इलाज और दवाईयां दी जाती हैं । एम.एस.एस. जून 2017 से सरकार की नज़र में है जब इसके द्वारा उनके एक सदस्य मोतीलाल बस्के की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या का पर्दाफाश किया गया था। बस्के वास्तव में राज्य की बलसेना द्वारा ही मारा गया था। एम.एस.एस. भूमि कानूनों (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना अधिनियम 1949) में संशोधन के खिलाफ भी विरोध कर रही है जिन का लक्ष्य आदिवासियों और मूलवासियों से उनकी ज़मीनों का त्याग कराना है।

सबसे पहले 7 नवंबर 2017 को मुफस्सिल गिरडीह थाने में 800 अज्ञात व्यक्तियों और समिति के 12 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज हुआ| इन 12 में से कम से कम 7 सदस्य समिति के पदाधिकारी हैं। इस दिन समिति ने बोल्शेविक क्रांति के 100 साल पूरे होने पर गिरडीह में एक कार्यक्रम और रैली आयोजित की थी। समिति के अनुसार रैली बिलकुल शांतिपूर्वक तरीके सी की गई थी फिर भी इन 12 सदस्यों और 800 अज्ञात व्यक्तियों पर दंगा करने, शांति भंग करने आदि आरोप लगाये गए हैं। इसके बाद 22 दिसम्बर को समिति पर झारखण्ड के गृह विभाग ने सी.एल.ए. अधिनियम, 1908 की धारा 16 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग कर प्रतिबंध लगा दिया। समिति को "सी.पी.आई. (माओवादी) का अग्र संगठन" करार कर इसे एक गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। इसकी सदस्यता, समिति को दान और उनकी "उग्रवादीनीतियों" से संबंधित किसी भी तरह की सामग्री को प्रकाशित करना या रखना अवैध घोषित कर दिया| इसके दो दिन बाद ही, 23 और 24 दिसंबर के बीच मध्यारात्री में समिति के तीन सदस्यों – अजय हेम्ब्रोम, दयाचंद हेम्ब्रोम और मोहन मुर्मू को समिति के मधुबन कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया, तथा दस और सदस्यों के खिलाफ भी वसूली और गैरकानूनी गतिविधियों में हिस्सा लेने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर दिया। जिसे इस मुकदमे में वसूली और

गैरकानूनी बताया जा रहा है यह वही कोष है जिसमें श्रद्धालुओं से डोली मजदूरों के कल्याण के लिए नाममात्र 10 रूपए लिए जाते हैं। इसके बाद 30 दिसंबर को समिति के बोकारो कार्यालय पर रेड की गई और बोकारो में सक्रीय सदस्यों के खिलाफ़ 17 सीएलए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें सीपीआई (माओवादी) को सहयोग करने के आरोप हैं | इसमें विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के दामोदर तुरी को भी नामित किया गया है जबकि वह एमएसएस के सदस्य है ही नहीं |

गिरफ्तार किये गए सदस्यों में तीनों स्थानीय आदिवासी युवा हैं जो कि फिलहाल गिरडीह जेल में कैद हैं। वे पिछले कई सालों से समिति की मधुबन इकाई के साथ काम कर रहे हैं। 25 साल के अजय हेम्ब्रोम कमरकोचा गाँव, पीर्टंड तालुका, मधुबन के रहने वाले हैं। वे गिरडीह डिग्री कॉलेज में बी.ऐ. (आखिरी साल) की पढ़ाई कर रहे थे और साथ-साथ दैनिक मजदूरी कर के अपनी जीविका भी कमा रहे थे। उनकी माँ आंगनवाड़ी में रसोइया हैं और छोटा भाई भी दैनिक मजदूरी करता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और मानसिक तौर पर बीमार चल रहे पिता भी हैं। 18 साल के दयाचंद हेम्ब्रोम जो भीगाँव, पीरटांड तालुका, मधुबन के रहने वाले हैं। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी से कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिता एक धर्मशाला में सुरक्षा गॉर्ड की नौकरी करते हैं और एक भाई मधुबन स्थित दूसरी धर्मशाला में देखरेख का काम करते हैं। उनके सबसे बड़े भाई गाँव में किराने की दुकान चलाते हैं और माँ परिवार की थोड़ी बहुत ज़मीन पर खेती करती हैं। 19 साल के मोहन मुर्मू भी जो भी गाँव से हैं। 10वीं कक्षा में उनकी पढ़ाई छूट गयी। उनका परिवार पूरी तरह उन पर निर्भर है। मोहन परिवार की ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकीमाँ गुज़र चुकी हैं, पिता इतने कमज़ोर और बूढ़े हैं कि खुद चल भी नहीं पाते, और उनका एक भाई मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। उनके सबसे बड़े भाई ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली और पहली शादी से हु एबच्चों को परिवार के साथ छोड़कर चले गए। तो भाई के दो बच्चों की ज़िम्मेदारी भी मोहन पर ही है।

एम.एस.एस. पर दमन बढ़ता जा रहा है । समिति और इसके सदस्यों पर मनमाना प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। समिति के मधुबन और बोकारो कार्यालयों पर पुलिस ने छापा मारकर उसे सील कर दिया है। समिति के अधिकाँश पदाधिकारी सदस्यों पर एक या अधिक मुकदमों की तलवार लटक रही है। उन पर सख्त और गैर-लोकतांत्रिक कानूनों के तहत मुकदमे कर दिए गएहैं। इसकी वजह से गिरफ्तार किये गए तीन सदस्यों का जल्दी जमानत पर आना मुश्किल है। इन तीनों आदिवासी युवाओं में से दो विद्यार्थी हैं, एक की पढ़ाई छूट गयी और उनका परिवार उन पर निर्भर है। विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के दामोदर तुरी भी निशाने पर हैं | वे 19 दिसंबर को ही एक अन्य मामले में बरी हुए थे |

पी.पी.एस.सी. इस बात की कड़ी निंदा करता है कि एक 30 साल पुराने श्रमिक संघ को इस तरह से प्रतिबंधित किया गया है और उनके सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मांग करते हैं की -

१. मजदूर संगठन समिति पर से प्रतिबन्ध हटाया जाये।
२. समिति के सदस्यों पर थोपे गए मुक़दमें वापस लिए जाएं।
३. अजय हेम्ब्रोम, दयाचंद हेम्ब्रोम और मोहन मुर्मू को रिहा किया जाये।

स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज
पीड़ित बंदी सहयोग समिति